


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं. 164/2018-19

बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉब एंव कारोवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	प्रामाण्यता
12/3/19	झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016	
	<p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, मू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 40 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजबूत खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉब प्रारंभ की गयी। जॉब के काम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-कालासुख मौजा नं- 12 खाता नं- 112</p> <p>प्लॉट नं- 2502 रकबा 7300 की भूमि जो गैरमजबूत जाल, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- 11 के जिल्द संख्या 2 के पृष्ठ संख्या 300 पर जमाबंदी रैयत कालासुख कालासुख नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉब प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सख्त प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारोय करण है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉब किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जॉब प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 11/4/19 को रखें।</p>	
		 18.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।

01/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अवकाश है।
अभिलेख दिनांक 15/4/19 को रखें।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखें।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
29/6/20 को रखें।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
कामाचुआर मौजा नं० 12 खाता 144 प्लॉट
नं० 2502 रकबा 2510 भूमि से संबधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रयत
के खोज बोन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तानिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 55 (11) 29/6/20 के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं सशोधत।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

अंचल अधिकारी
धनबाद।